

आप उक्तानुसार गांधी के कब्रों कारण करने में कानून लागू नहीं करने लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कब्रों के क्षेत्रफल नहीं करने हेतु प्रतिवादीपक्ष के विरुद्ध सार्वभौमिक अधिकारों का भी हिस्सा है। शिकायत मुर्तिब धी। सार्वभौमिक अधिकारों का अर्थ - अपना पहलू करे।

पतेस Nil मुसलिन Nil काबत
 सार्वभौमिक अधिकारों के मय सूत व शहर Nil फीस दी सालाना आप
 तारीख से तारीख वसूलवाकी तक Nil का अदा करे।

दस्तावेज भेरे दस्तावेज व मुहर अदालत के आज तारीख 11/11/2025 को
 किन्ना गया।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयों का आज दिनांक 22/07/2025 को
 प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 22/07/2025 को मुर्तिब की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ

व	रूपया	पैसे	मुदायाला	रूपया	पैसे
दाम्प अरजीदया	-	-	स्टाम्प अरजीदया	-	-
दाम्प वकीलात नामा	-	-	स्टाम्प वकीलात नामा	-	-
दाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
इन्ताना वकील ()	-	-	महानताना वकील ()	-	-
खर्चा गवाह	-	-	खर्चा गवाह	-	-
फीस कमीशनर	-	-	फीस कमीशनर	-	-
बाबत इजराय हुकमनामा	-	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-	-
मुनफरिक	-	-	मुनफरिक	-	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ

गूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठीड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 101/2024

दायर दिनांक 26.06.2024

अनवान

1. मनभरी पत्नि शंकरलाल जाति भीणा उम वयस्क व्यवसाय गृहणी निवासी जालम की झोपडियां
तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

डिक्रीदार

बनाम

01. गु० नानी पुत्री नंदा जाति भील उम वयस्क निवासी बगता का झूपडा माल का खेडा तहसील
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. शंकरलाल पुत्र किशनलाल जाति भील उम वयस्क निवासी बगता का झूपडा माल का खेडा
तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
03. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)।

नटयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 रा०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक 22/10/2025

डिक्री दिनांक 22/10/2025



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय
बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता
प्रतिवादीगण श्री संजय कुमार चौहान, श्री विट्ठल तिवाड़ी को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी
जाती है कि मौजा ग्राम भटखेड़ी पटवार हल्का माल का खेड़ा स्थित कृषि भूमि में निम्नानुसार
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)	लगान
01	नानी पुत्री नंदा भील सा. देह खातेदार	भटखेड़ी	39	12	6
	योग		किता 01	12	6
02	मनभरी पत्नि शंकरलाल भीणा नि. जालम की झोपडियां खातेदार	भटखेड़ी	39/1	4.13	2.32
	योग		किता 01	4.13	2.32
03	मनभरी पत्नि शंकरलाल 7/8 शंकरलाल पिता किशनलाल 1/8 भीणा नि. जालम की झोपडियां खातेदार	भटखेड़ी	40	7.07	3.67
	योग		किता 01	7.07	3.67

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02 पर

क्र. सं.	खातेदार का नाम	पता	आसानी नम्बर	रकम (वी.ग. में)	लगान
01	मानी पृथी लता मील सा देव खातेदार	भटखेड़ी	39	12	6
	योग		किता 01	12	6
02	मनमरी पति शंकरलाल मीणा नि जालम की शोपडिया खातेदार	भटखेड़ी	39/1	4.13	2.32
	योग		किता 01	4.13	2.32
03	मनमरी पति शंकरलाल 7/8 शंकरलाल पिता किशनलाल 1/8 मीणा नि जालम की शोपडिया खातेदार	भटखेड़ी	40	7.07	3.67
	योग		किता 01	7.07	3.67

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वादी के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी की जाएँ। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 101/2024

वायर दिनांक 26.06.2024

अनवान

1. मनमरी पत्नि शंकरलाल जाति भीणा उम्र वयस्क व्यवसाय गृहणी निवारी जालग की झोपडियां तहसील
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) वादी

बनाम

01. मु0 नानी पुत्री नंदा जाति भील उम्र वयस्क निवारी बगता का झूपड़ा माल का खेड़ा तहसील
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शंकरलाल पुत्र किशनलाल जाति भील उम्र वयस्क निवारी बगता का झूपड़ा माल का खेड़ा तहसील
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री संजय कुमार चौहान, श्री विठ्ठल तिवाड़ी - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राज0 का0 अधिनियम



-: निर्णय :-

दिनांक 22/07/2025

पुनर्वली राज्य सरकार के आदेश से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से
दिनांक 26.06.2024 को प्राप्त हुयी।

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा
53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 27.12.2019 को
प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भटखेड़ी पटवार हल्का माल का खेड़ा स्थित कृषि भूमि
खसरा संख्या 39 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वां व खसरा संख्या 40 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वां
कुल कित्ता 02 रकबा 24 बीघा भूमि में वादीयां के हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर
जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने
के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार माण्डलगढ़ ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार
पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक/राजस्व/2020/409 दिनांक 02.03.2020 को
प्रस्तुत किये हैं।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित
खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर
उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

तारीख
हुम

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/6/25

पत्रावली पर हुम। एक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान PO सा दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 3/7/25 को वास्तु बरक/बहाल
उपखण्ड अधिकारी

31/7/25 पत्रावली चेरा डुरी अधिकारता वाली
उपस्थित। पत्रावली वास्तु मिर्गिय/बहाल
भागानी दिग्ग्रे 22/7/25 को चेरा हा

उ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

22/7/25

पत्रावली चेरा डुरी अधिकारता वाली उपस्थित
पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली
में अस्मि डुरी जरी की गयी। पत्रावली
में आदेश विस्तृत रूप से पृथक्
से लिखवाए गए हैं, जूले न्यायालय
में सुगाए गए। पत्रावली उम्नर हा
कम टांगर, दाखिल दफतर हा

उ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा